वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

NAAC A+Grade

Wbe: www.vbspu.ac.in Email:connectpureregistrar@gmail.com

पत्रांक: 1065 / शैक्षणिक / 2025 दिनांक: 29/07/25

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / निदेशक / शोध निर्देशक,
विश्वविद्यालय परिसर / सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषय सेवारत शोधार्थियों के फीड बैक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऐसे शोधार्थी जो पीएच0डी0 में पंजीकरण के पूर्व या पंजीकरण के उपरान्त सरकारी / गैर सरकारी विभाग में सेवारत हुए है, के सन्दर्भ में मा0 कुलपति जी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की गई संस्तुतियाॅ निम्न लिखित है:–

1. जिन शोधार्थियों का पी-एच0डी0 में प्रवेश, सत्र 2022-23 के पूर्व हुआ है उन शोधार्थियों को कोर्स वर्क करने के संबंध में शोध केंद्र के प्राचार्य अथवा शोध निर्देशक से एक प्रमाण पत्र ले लिया जाए कि शोधार्थी द्वारा कोर्स वर्क पूर्ण करने में यूजीसी (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियमों एवं विश्वविद्यालय के पी-एच0डी0 अध्यादेश के नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है |
2. ऐसे शोधार्थी जिनका प्रवेश सत्र 2022 -23 में हुआ हैं एवं उन्होंने ऑनलाइन/भौतिक रूप से कोर्स वर्क पूर्ण किया है तो ऐसे शोधार्थी शोध केंद्र के प्राचार्य अथवा शोध निर्देशक से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -69/ सत्तर/-1-2022, दिनांक 6 जनवरी 2022 के आलोक में ऑनलाइन/भौतिक कोर्स वर्क पूर्ण किए जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
3. वर्त्तमान में शोधरत ऐसे शोधार्थी जो अद्यतन शोध प्रबंध जमा नहीं किये हैं एवं कार्यरत है परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम 3 वर्ष की छुट्टी का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है उन्हें अंशकालिक पी-एच0डी0 में परिवर्तित किया जाए | ऐसे शोधार्थियों को अंशकालिक (Part Time) पी-एच0डी0 तथा पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 के लिए निर्धारित शुल्क के अंतर को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा | यदि शोधार्थी का शोध केंद्र और कार्य स्थल एक है तो नियोक्ता/प्राचार्य द्वारा इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ऐसे शोधार्थी को पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 माना जाये ।
4. ऐसे शोधार्थी जिन्होंने शोध प्रबंध जमा कर दिया है एवं अद्यतन उनकी मौखिकी संपन्न नहीं हुयी है ऐसे शोधार्थी एवं उनके शोध केंद्र के प्राचार्य अथवा शोध निर्देशक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि शोधार्थी द्वारा यूजीसी गाइडलाइन एवं पी-एच0डी0 अध्यादेश में विहित प्रावधानों के आलोक में शोध कार्य पूर्ण किया गया है। भविष्य में यदि कोई समस्या प्रमाण पत्र को लेकर आती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शोधार्थी की होगी।
5. आगामी पी-एच0डी0 प्रवेश में कार्यरत शिक्षक जिन्हें पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 में प्रवेश लेना है तो उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत न्यूनतम 3 वर्ष की छुट्टी का प्रमाण पत्र डीआरसी/आरडीसी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में वे केवल अंशकालिक (Part Time) पी-एच0डी0 के लिए ही पात्र होंगे, परन्तु यदि शोधार्थी का शोध केंद्र और कार्य स्थल एक है तो बिना अवकाश लिये भी ऐसे शोधार्थी को पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 माना जाये ।

क्रमशः....2

6. यदि सेवारत शिक्षक(शोधार्थी) के कार्य स्थल पर उस विषय के शोध-निर्देशक के पास सीट रिक्त नहीं है परन्तु उसे पंजीकृत किये जाने वाले शोध केंद्र एवं उसके कार्य स्थल के बीच की दूरी 20 कि.मी. तक है तो ऐसे सेवारत शिक्षक(शोधार्थी) बिना अवकाश के पूर्ण कालिक (Full Time) पी-एच0डी0 के लिए अर्ह माने जा सकते है। ऐसे शिक्षक को नियोक्ता/प्राचार्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र डीआरसी/आरडीसी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. समस्त शोधार्थियों से इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा शोध कार्य यूजीसी, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पी-एच0डी0 अध्यादेश एवं नियमों के आलोक में किया गया है। भविष्य में शोधार्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यदि कोई समस्या आती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शोधार्थी की होगी।
8. ऐसे शोधार्थी जो पी-एच0डी0 प्रवेश के समय कार्यरत नहीं थे परन्तु शोध अवधि के दौरान किसी सेवा में चयनित होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ऐसे शोधार्थी नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ आवेदन किये जाने पर उन शोधार्थियों को अंशकालिक (Part Time) पी-एच0डी0 में परिवर्तित कर दिया जाये। ऐसे शोधार्थी को अंशकालिक पी-एच0डी0 तथा पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 के लिए निर्धारित शुल्क के अंतर को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा ।
9. ऐसे शोधार्थी जिन्होंने शोध पंजीकरण से न्यूनतम दो वर्ष (Minimum Residental Period) की शोध कार्य के पश्चात किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो उसके शोध-निर्देशक के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने पर कि शोधार्थी द्वारा आवश्यक शोध कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शोधार्थी द्वारा पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 पूर्ण करने हेतु आवेदन करने पर पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 हेतु अर्ह माना जाये ।
10. उच्च शिक्षा विभाग से इतर अन्य विभागों में कार्यरत वर्किंग प्रोफेशनल यदि शोध अवधि के दौरान अवकाश न लिए हो तो ऐसे शोधार्थी द्वारा नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ आवेदन किये जाने पर उन शोधार्थियों को अंशकालिक (Part Time) पी-एच0डी0 में परिवर्तित कर दिया जाये | ऐसे शोधार्थियों को अंशकालिक (Part Time) पी-एच0डी0 तथा पूर्णकालिक (Full Time) पी-एच0डी0 के लिए निर्धारित शुल्क के अंतर को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा ।

उपर्युक्त संस्तुतियां नीतिगत प्रकृति की है, उक्त संस्तुतियों को मा. विद्यापरिषद से अनुमोदन उपरांत ही लागू किया जाना समीचीन होगा |

उक्त त्रिसदस्यीय सस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.07.2025 के अनुपालन में शोध निर्देशक एवं ऐसे शोधार्थी जो पीएच0डी0 में पंजीकृत हैं एवं साथ ही साथ सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हैं/पूर्व से नियुक्त हैं द्वारा उपरोक्त त्रिसदस्यीय समिति की सस्तुतियों पर अपनी प्रतिक्रिया(फीडबैक) अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः संबंधित समस्त शोध निर्देशक शोधार्थियों अपने स्तर से सूचित करते हुए आवश्यक रूप से शोधार्थियों का फीडबैक(प्रतिक्रिया) शैक्षणिक अनुभाग के Email:aracademicvbspu@gmail.com पर दिनांक 31.07.2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सहायक/उप कुलसचिव(शैक्षणिक) वीर बाहदुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. वेबमास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना को वि0वि0 के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

कुलसचिव